भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून / Directorate of Forest Education, Dehradun
डाकघरः न्यूफॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखंड) / PO - New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)
दूरभाष / Tel. : 0135 - 2750127, 2757326 I ई-मेल / E-mail : dfe-dehradun@gov.in I वैबसाइट / Website : www.dfe.gov.in

सं.4-547/Trg.-II/DFT-2012/Part-II/ 3653-3732 दिनाँक 14 नवम्बर,2025

कार्यालय आदेश

वन शिक्षा निदेशालय अपने तकनीकी नियंत्रण के अंतर्गत नौ राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न वन अकादमियों/वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से वन क्षेत्रपाल अधिकारियो को अठारह माह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

निदेशक वन शिक्षा, भारत सरकार के पूर्व निर्देशों तथा वन क्षेत्रपाल अधिकारियों हेतु *प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम(संशोधित), 2004* के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समय-समय पर उक्त अट्ठारह माह के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण व्यय दरों में संशोधित करता है। प्रशिक्षण व्यय की निम्नलिखित मदों में पिछली बार निम्नप्रकार से संशोधन किया गया था:-

क्रम सं.	विवरण	पिछली संशोधन की तिथि
1	शिक्षण शुल्क – ₹1,00,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	अप्रैल, 2022
2	भ्रमण व्यय (प्रवेश, अवकाश या प्रशिक्षण उपरांत वापसी की यात्रा व्यय को छोड़कर) – ₹2,50,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	
3	उपकरण भत्ता – ₹1,00,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	
4	संस्थागत शुल्क – ₹50,000/- (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	
	कुल ₹ 5,00,000/-	

पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत लगभग 15% से 20% तक बढ़ गई है। इस बढ़ती लागत एवं रखरखाव व्यय को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण व्यय की वर्तमान दरों में संशोधन आवश्यक हो गया है, ताकि धनाभाव के कारण वन क्षेत्र अधिकारियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, तथा अधोहस्ताक्षरी को अधिसूचना सं. 3-17/99-RT(I) दिनांक 21 जून 2004 वन क्षेत्रपाल हेतु *"प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004* सामान्य नियम, भाग-IV, नियम 30" के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, वन शिक्षा निदेशालय के तकनीकी नियंत्रणाधीन नौ राज्य संचालित वन अकादमियों / प्रशिक्षण संस्थानों में नामित वन क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षुओं हेतु शिक्षण शुल्क, भ्रमण व्यय, उपकरण भत्ता, सावधि धनराशि की संशोधित दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं:

क्र.सं.	विवरण	संशोधित दर	टिप्पणियाँ
1	शिक्षण शुल्क	₹1,10,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	FRO 2025–27 बैच हेतु, जो 01.12.2025 के उपरांत प्रारंभ होंगे
2	*भ्रमण व्यय	₹2,90,000/- प्रति प्रशिक्षु या संबंधित अकादमी के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा अनुमानित राशि, जो भी कम हो	तदैव
3	उपकरण भत्ता	₹1,00,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	
4	संस्थागत शुल्क	₹50,000/- प्रति प्रशिक्षु (पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु)	
	कुल ₹ 5,50,000/- प्रति प्रशिक्षु		

* भ्रमण व्यय -प्रवेश, अवकाश या प्रशिक्षण उपरांत वापसी की यात्रा व्यय को छोड़कर

उपरोक्त दरें 1 दिसम्बर 2025 से प्रभावी होंगी तथा उक्त तिथि के पश्चात प्रारंभ होने वाले वनक्षेत्रपाल अधिकारी अधिष्ठापन पाठ्यक्रमों पर लागू होंगी।

अन्य निर्देश:

1. उपरोक्त संशोधित दरें शिक्षण शुल्क, भ्रमण व्यय, उपकरण भत्ता एवं संस्थागत शुल्क हेतु FRO 2025–27 बैच के लिए प्रभावी होंगी, जो 1 दिसंबर 2025 या उसके बाद प्रारंभ होंगे।
2. **सावधि धनराशि (वापसी योग्य):** प्रत्येक अधिकारी प्रशिक्षु को अकादमी में प्रवेश के समय ₹10,000/- (केवल दस हजार रुपये) जमा कराने होंगे। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अकादमी द्वारा लौटाई जाएगी।
3. **वृतिदान:** यदि प्रशिक्षुओं को वृतिदान दिया जाना हो, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति माह न्यूनतम ₹44,900/- (केवल चवालीस हजार नौ सौ रुपये) का वृतिदान प्रदान किया जाए।
4. **आवास एवं यात्रा व्यय:** भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के समकक्ष ग्रेड पे वाले अधिकारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। यदि निधि की कमी हो तो अकादमी कम दरें निर्धारित कर सकती है। किंतु यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अधिक व्यय अनिवार्य हो जाए, तो सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।
5. **उपकरण एवं अन्य वस्तुएँ:** सभी क्रय *भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (GFR)* के अनुरूप किए जाएंगे। क्रय समिति में संबंधित बैच के तीन प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। राज्य सरकारों से प्राप्त उपकरण व्यय में यदि कोई बचत हो, तो उसे प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात संबंधित राज्य को तुरंत लौटाया जाएगा।
6. **संस्थागत शुल्क का उपयोग:** विद्युत, जल, छात्रावास सफाई सामग्री, आई.टी. व्यय एवं अन्य प्रशिक्षण संबंधी खर्चे संस्थागत शुल्क से अनुपातिक रूप से व्यय किए जा सकते हैं।
7. **लेखा संधारण:** प्रत्येक अकादमी के निदेशक / प्राचार्य को भारत सरकार के लेखा नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रशिक्षण व्यय का पृथक एवं विस्तृत लेखा रखना होगा। भ्रमण व्यय से संबंधित किसी भी शेष राशि अथवा अतिरिक्त मांग का निस्तारण प्रशिक्षण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर प्रायोजक राज्य / प्राधिकरण के साथ किया जाएगा।

14/11/25

(मीरा अय्यर, भा.व.से.)
निदेशक वन शिक्षा

प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के वन सचिव को सूचनार्थ।।
2. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) को सूचनार्थ।।
3. उप महानिरीक्षक (RT), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. निदेशक/ प्रधानाचार्य, सभी राज्य पोषित वन अकादमियों/वन प्रशिक्षण संस्थान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अभिलेख हेतु।